

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2019—पौष 7, शक 1941

### उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-6-1-2019-अट्ठावन.— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के खरीफ 2019 से रबी 2019-20 के क्रियान्वयन हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1-2019-अट्ठावन, दिनांक 27 जुलाई 2019 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक एफ-6-1-2019-अट्ठावन, दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुक्रम में, अधिसूचना में संलग्न परिशिष्ट-1 कलस्टर-D के रायसेन जिले में अधिसूचित फसल आम की प्रीमियम दर त्रुटिवश अंकित नहीं हो पाई.

अतः बीमा कंपनी से प्राप्त वास्तविक प्रीमियम दर अनुसार रायसेन जिले में अधिसूचित फसल के कॉलम में फसल आम को जोड़ा जाकर उसके सम्मुख वास्तविक प्रीमियम दर 15 प्रतिशत पढा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव,